न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर 2
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 :387 सन 2018
अनवान :–

1. लाधुराम पुत्र धनपतराम जाति कुम्हार निवासी कानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. धनपत पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र धनपतराम जाति कुम्हार निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. सिलोचना 4 हीरा पुत्रीया धनपतराम जाति कुम्हार निवासी कानसर तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13-8-2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर तहसील के खाता संख्या 470/687 के खसरा न0 1551/18 की 6.3230हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से धनपत 125 हिस्से एवं खाता संख्या 471/585 के खसरा न0 18/1 की 7.5880हैक जिसमें सयुक्त तौर से धनपत 150 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजा वल्द चुन्नीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसकी धर्मपत्नि मुलीदेवी के नाम से दर्ज हुई जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्र धनपत , रजीराम, बलराम पर औद हुई है जिन्होने खाता विभाजन करवाने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 470/687 के खसरा न0 1551/18 की 6.3230हैक जिसमें धनपत का 125 हिस्से , व खाता संख्या 471/585 के खसरा न0 18/1 की 7.5880हैक भूमि हिस्से में आई है विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिबादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष मे किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 470/687 की कुल 6.3230हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 50 हिस्सा के व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 75 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व खाता संख्या 471/585 की कुल 7.5880हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 150 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखरे पाचं हजार रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)